1 ५/५५

पत्रावली पेश हुई बमुलाहिजा फरीकेन हाजिर।
अपीलार्थी को प्रतिवादिया की तामील
करवाने व कि० आदेश पेश करने हेतु पर्याप्त
अवसर दिये जाने के बावजूद भी आदिनांक
तक तामील की रपोर्ट पेश नहीं करी है

ीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल जज	नम्बर व त अहकाम प हुक्म की जारी हुए
	अतः सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 5 के तहत वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	